कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना (म.प्र.)

ए.बी. रोड, फारेस्ट कालोनी, मुरैना

फोन नं. 07532-234742, E-mail – dfotmorena@mp.gov.in

क्रमांक/ मा.चि./21/ 307 मुरैना, दिनांक/ 19-01-22

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

लोक निर्माण विभाग संभाग-1 ग्वालियर।

विषय:- ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धोवनी मार्ग लम्बाई 8.00 कि.मी. के निर्माण मे बाधित वन भूमि के संबंध में।

संदर्भ - 1.आपका पत्र क्रमांक/1484/तकनीकी/फारेस्ट/2020 दिनांक 06/02/2021।

2.इस कार्यालय का पृ.क्र./मा.चि./937 दिनांक 16/02/2021

3. आपके द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर इस कार्यालय द्वारा किये गये ई.डी.एस. के संबंध में दिये गये उत्तर दिनांक 12/01/2022।

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र.3 के द्वारा ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धौवनी मार्ग के निर्माण मे वनमण्डल मुरैना की प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र. पी-217 वन खण्ड धोबिनी बीट-कन्हार रकवा 1.54 है. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुमति बावत् प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/ROAD/45373/2020 से संबंधित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर किये गये ई.डी.एस. के संबंध में आपके द्वारा दिनांक 12/01/2022 प्रस्ताव बिना किसी आवश्यक पूर्ति के ऑनलाइन वापस किया गया है। जिससे आपको पुन: लेख है कि आप इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र.2 का अवलोकन करे जिसमें सिकरावली से धोविनी मार्ग निर्माण में प्रभावित वनभूमि रकवा 1.54 हे. वनपरिक्षेत्र पहाड़गढ़ वनखण्ड धोबिनी में प्रस्तावित की गई है। जिसकी संयुक्त जाँच हेतु लेख किया गया था परंतु आपके द्वारा उक्त जाँच आज दिनांक तक पूर्ण नही कराई गई है अत: आप तत्काल वनपरिक्षेत्राधिकारी पहाड़गढ़ से सम्पर्क कर दिनांक नियत की जाकर अपने अधीनस्थों की उपस्थिति में संयुक्त जाँच की कार्यवाही सात दिवस के भीतर पूर्ण करायी जाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि की मौका स्थल संयुक्त कार्यवाही पूर्ण की जा सकें। मौके पर प्रस्तावित अस्थाई खूटियाँ गाड़ कर चिन्हाँकित करवाया जाना भी सुनिश्चित करें

वन मण्डलाधिकारी

वनमण्डल मुरैना

पृ.क्र./ मा.चि./ 21/ 308 मुरैना, दिनांक/ 19-1-22

प्रतिलिपि,

1. उप वनमण्डलाधिकारी सबलगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त जाँच एवं चाही गयी जानकारी के संबन्ध में प्रतिवेदन हेतु समस्त कार्यवाही अपने मार्गदर्शन में करायी जाना सुनिश्चित करें तथा नियत समय मे प्रतिवेदन वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र पहाड़गढ़ की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र./936 दिनांक 16/02/2021 के संदर्भ में भेज कर लेख है कि सिकरावली से धोवनी मार्ग निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.54 हैक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव PARIVESH Portal पर ऑनलाइन भाग-1 में प्राप्त हुआ है। अत: आप अपने अधीनस्थों की उपस्थिति में संयुक्त जाँच की कार्यवाही पूर्ण करायी जाना सुनिश्चित करें ।

वन मण्डलाधिकारी

वनमण्डल मुरैना

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना (म.प्र.)

ए.बी. रोड, फारेस्ट कालोनी, मुरैना
फोन नं. 07532-234742, E-mail – dfotmorena@mp.gov.in

क्रमांक/ मा.चि./21/ 310 | मुरैना, दिनांक/ 19-01-22

(MOST URGENT)

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र पहाड़गढ़।

विषयः- ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धोवनी मार्ग के निर्माण मे प्रभावित वन भूमि के बदले में प्राप्त क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि का स्थल सत्यापन बावत् ।

संदर्भः- 1.कलैक्टर मुरैना का आदेश क्र.04/अ-19(3)/2021-22 आदेश पारित दिनांक 13/09/2021।
2. इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./9314 दिनांक 14/10/2021

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रो का अवलोकन करे जिनमें पत्र क्र.2 से आपको लेख किया गया था कि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1 ग्वालियर द्वारा ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धोवनी मार्ग के निर्माण मे वनमण्डल मुरैना की प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र. पी-217 वन खण्ड धोबिनी बीट-कन्हार रकवा 1.54 है. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुमति बावत् प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/ROAD/45373/2020 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य परिक्षेत्र पहाड़गढ़ के कक्ष क्रमांक पी-217 बीट कन्हार अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अतः निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नायब तहसीलदार जौरा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी जौरा राजस्व द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कलैक्टर मुरैना का आदेश क्र.04/अ-19(3)/2021-22 आदेश पारित दिनांक 13/09/2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्राम चाँचुल तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 283 रकवा 6.113 है. नोईयत जंगलात में से रकवा 3.08 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गयी है।

उक्त भूमि की मौका स्थल संयुक्त जाँच वन विभाग/राजस्व विभाग के संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के साथ की जावे। जाँच निम्न बिंदुओ पर की जाना सुनिश्चित करें।

1. ग्राम चाँचुल तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 283 रकवा 6.113 है. नोईयत जंगलात में से रकवा 3.08 है. भूमि राजस्व भूमि है अथवा वन भूमि के अंतर्गत आती है जी.पी.एस. कोर्डिनेट ज्ञात करे। यदि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो बीट का नाम एवं कक्ष क्र. का भी उल्लेख करें।
2. म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप दिनांक 26/10/2005 के अनुसार छतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निम्न मापदण्ड को पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

   (क) उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त है।
   (ख) वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र है।
   (ग) उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगी हुई है एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है

उपरोक्त बिदुओ पर आधरित संयुक्त जाँच आपके द्वारा आज दिनांक तक नही भेजी गई है जिससे प्रकरण में की जानी वाली आवश्यक कार्यवाही लंबित है। अतः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में संयुक्त जाँच की जाकर उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को 07 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करे।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना

पृ.क्र./ मा.चि./ 21/ 311 | मुरैना, दिनांक/ 19-01-22

प्रतिलिपि,

1. कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र.1 ग्वालियर की ओर भेज कर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (जौरा) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।
3. तहसीलदार तहसील जौरा की ओर भेज कर लेख है कि ग्राम चाँचुल तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 283 रकवा 6.113 है. नोईयत जंगलात में से रकवा 3.08 है. भूमि राजस्व भूमि है क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कलैक्टर मुरैना का आदेश क्र.04/अ-19(3)/2021-22 आदेश पारित दिनांक 13/09/2021 (छायाप्रति संलग्न) से वन विभाग को हस्तांतरित की गई है उपरोक्त भूमि की संयुक्त स्थल जाँच हेतु संबंधित राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी को निर्देशित करें।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना